Question No. 742 on the 21st August, 1961 and state:

(a) what success, if any, has since been achieved in the export of locomotives and passenger coaches; and

(b) what further efforts are being made in this connection?

The Deputy Minister of Railways (Shri S. V. Ramaswamy): (a) There has been no success so far.

(b) Efforts are being continued by submitting offers against foreign enquiries, as these are put out.

Rules regarding loading and unloading of wagons

*265. **Shri Vidya Charan Shukla:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are satisfied that there is no scope for improvement in the rules regarding loading and unloading of wagons with a view to accelerate their movement; and

(b) if so, what is regarded as the ideal average time for such loading and unloading?

The Deputy Minister of Railways (Shri Shah Nawaz Khan): (a) and (b). With a view to accelerating movement of wagons the free time for loading or unloading was reduced to 5 working hours with effect from 1-11-1956 and this is considered to be reasonable in the present circumstances.

स्त्रियों तथा बच्चों का कल्याण

*२६६. **श्री म० ला० द्विवदी :** क्या **सामुदायिक विकास तथा सहकार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेरकार ने सामुदायिक विकास खण्डों में स्त्री-बच्चों के कल्याण के बारे में राज्य सरकारों को कोई परिपत्र भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस परिपत्र की मुख्य बातें क्या हैं ?

सामुदायिक विकास तथा सहकार उप-मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य बातें ये हैं :—

(१) प्रत्येक ग्राम सेवक के क्षेत्र में एक की दर से दस अच्छे महिला मण्डल खोलना ।

(२) महिला मण्डल प्रशिक्षित सहकारी महिला कार्यकर्त्ताओं द्वारा चलाये जायें ।

(३) महिला कार्यक्रम इन पर केन्द्रित किया जाय :—

(१) आहार-पोषण

(२) परिवार नियोजन

(३) सहायक काम-धंधे ।

(४) घर की सजावट, सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहन ।

(५) शिक्षा और नागरिकता सहित समाज शिक्षा ।

(६) स्कूलों के बच्चों की भरती ।

(४) विशिष्ट कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा का स्थानीय महिला मण्डल द्वारा स्वयं तय किया जाना ।

(५) महिलाओं और बच्चों पर कम से कम खर्च करने के लिये प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी के खण्डों के स्कीमैटिक बजट में क्रमशः ४०,००० एंव २०,००० रुपयों की व्यवस्था की गई है । इन राशि के साथ-साथ दूसरी मदों के लिये निर्धारित राशियों का प्रयोग भी जहां तक सम्भव हो सके इस कार्यक्रम के लिये किया जा सकता है ।

Printergram Telegraph Service

*267. **Shri Ajit Singh Sarhadi:** Will the Minister of **Transport and Communications** be pleased to state: